

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर 2020—भाद्र 26, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2020

क्र. 22-वि.निर्वा.-चार-2020-74.—भारत निर्वाचन आयोग की निर्माकित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

क्रमांक 52/2020/SDR/Vol. I दिनांक 17 सितम्बर, 2020

अरूण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

सं 52-2020-एसडीआर-खण्ड I —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खण्ड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिन्हित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग- IIIक के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786(अ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिए यथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में साधारण निर्वाचनों या उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे.

आदेश द्वारा

हस्ता./-

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 17th September, 2020

NOTIFICATION

No. 52-2020-SDR-Vol. I.—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State Union Territory and who request for voting by postal ballot paper, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the general elections or bye-elections in the State/Union Territory concerned, to be notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Election Rules, 1961, as amended *vide* Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22<sup>nd</sup> October, 2019 and the directions and guidelines issued by the Election Commission, until further orders.

By order,

Sd./-

(NARENDRA N. BUTOLIA)  
*Sr. Principal Secretary,*  
*Election Commission of India.*